क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1 के लक्ष्य

- जड़ी बूटियों के कृषकों, विकेताओं- क्रेताओं के मध्य समन्वय ।
- उत्पादकों को गुणवतापरक प्लांटिंग मैटीरियल की सुविधा।
- तकनीक के प्रयोग से जड़ी बूटियों के कारोबार में मूल्यवर्धन करना।
- गुणवतापरक प्लांटिंग मैटीरियल की उपलब्धता ।
- जड़ी-बूटियों के रखरखाव की व्यवस्था ।
- जड़ी-बूटियों के विपणन के लिए मार्केट स्थापित करना।
- जड़ी-बूटियों की खेती एवं संरक्षण करना।
- जड़ी-बूटियों की खेती से रोजगार सृजन और ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करना

संपर्क

क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1,

राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जोगिंद्र नगर-175015 (हि0 प्र0)

दूरभाष - 01908 222333 , 9418010624, 9015170106 (मोबाइल)

Website: www.rcfcnorth.in, Email: rcfcnorth@gmail.com

www.nmpb.nic.in, www.e-chark.in

आयुष मंत्रालय भारत सरकार

राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड

क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1

जोगिंद्रनगर

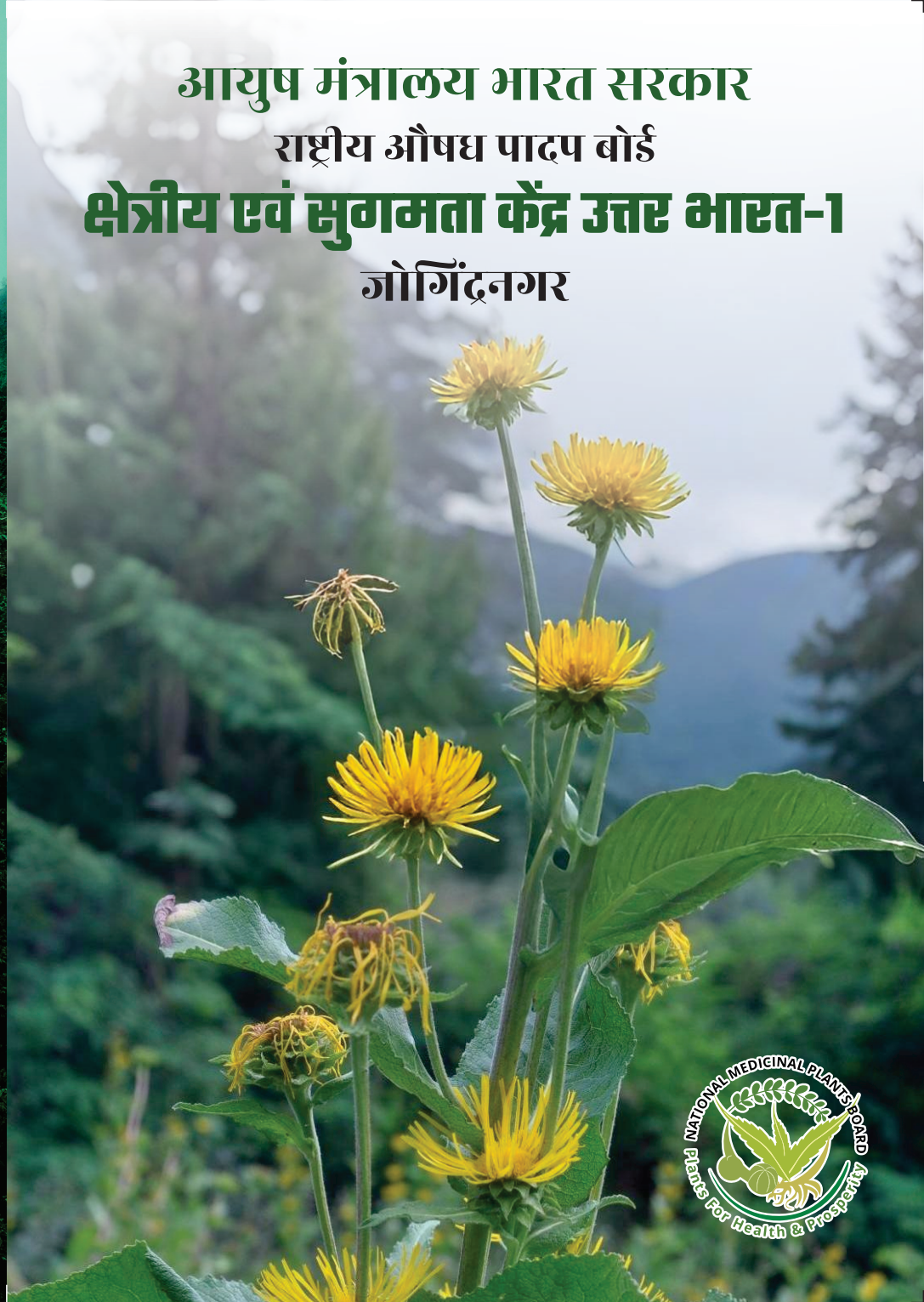

क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1

औषधीय पौधों के कार्य को समन्वित करने और इस संबंध में योजनाओं को तैयार, कार्यान्वित करने के लिए नवंबर 2000 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की स्थापना की गई थी। बोर्ड औषधीय पौधों के संरक्षण विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं' और 'औषधीय पोधों के विकास' योजनायों का कार्यान्वयन करता है।

औषधीय पौधों की गतिविधियों में गति देने, समन्वय स्थापित करने के लिए देश भर से (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और उत्तर पूर्व में क्षेत्रीय सुविधा केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों को चुना गया है। आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर स्थित आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट को औषधीय पौधे के क्षेत्र से संबंधित कार्य के अनुभव और योग्यता के कारण उत्तर भारतीय राज्यों के लिए क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र (आरसीएफसी) की स्थापना के लिए चुना गया है।

बनककड़ी

आंवला

शतावरी

अतीश

कुठ

इस आरसीएफसी के तहत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह केंद्र उत्तरी भारत में औषधीय पौधों के उत्पादकों, किसानों, शोधकर्ताओं, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के लिए एक स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है । और राज्य औषधीय पौधे बोर्ड (एसएमपीबी), औषधीय पौधों की राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है । औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण, विकास, विपणन, सहयोगियों व औषधीय पौधों के उत्पादकों के लिए एक सेवा खिडकी प्रदान करता है। और प्रौद्योगिकी प्रसार के संदर्भ में हितधारकों को सहयोग प्रदान करेगा।

क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1 (RCFC NR-1) के उद्देश्य

- यह केंद्र संबंधित क्षेत्र में औषधीय पौधों से संबंधित सभी मामलों के समाधानों के लिए एक स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। एनएमपीबी को अपने जनादेश को पूरा करने के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। क्षेत्र संबंधित अनुसंधान गतिविधियों का आयोजन करेगा।

- स्थानीय स्टेकहोल्डर्स के संगठनों के साथ मिलकर प्राथमिक संसाधन, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण मार्केटिंग सुविधा की स्थापना में शामिल होने के लिए सुगमता करेगा।

- उत्पादकों, कलेक्टरों सहित संबंधित हितधारकों के बीच प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल विकसित करना और प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनार आदि के आयोजनों में सहायता प्रदान करना।

- औषधीय पौधों की कृषि प्रौद्योगिकी का विकास, विशेष रूप से लुप्तप्राय और उच्च मांग वाली प्रजातियों, जैविक खेती और पहले से विकसित कृषि तकनीकों के अनुकूलन फील्ड परीक्षणों पर कार्य।

- क्षेत्र विशिष्ट गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का विकास और इसके साथ संबंधित मुद्दों को वैज्ञानिक रूप से प्रचारित करना।

औषधीय पौधों उपज आदि की बिक्री की सुविधा, मांग आपूर्ति मुद्दों आदि को हल करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थापना के द्वारा क्षेत्र में विपणन सुविधा के विकास के साथ-साथ मांग, माल्रा बेचने और प्रमुख प्रजातियों की कीमत पर एक डेटाबेस विकसित करना।

- औषधीय पौधों पर संरक्षण, टिकाऊ खेती, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर जानकारी देने और उन गतिविधियों में वन विभाग और राज्यों के अन्य संबंधित विभागों को शामिल करने के लिए प्रयास करना ।

- जंगली प्रजातियों का स्थाननुपात जो क्षेत्र में मांग और स्थानिक है और इसके किस्मों के विकास।

संबंधित राज्यों में अच्छी कृषि पद्धतियां (जीएपी), गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिस (जीएफसीपी) इत्यादि पर पहलों को आगे बढ़ाने के लिए और क्षेत्र और प्रसार के विशिष्ट जीएपी और जीपीसीपी विकसित करना।

- राज्यों में औषधीय पौधों के विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए (एसएमपीबी, मिशन योजना अन्य संस्थाओं, और गैर सरकारी संगठनों, जन संगठनों को औषधीय पौधों के क्षेत्र के विकास में शामिल करना) प्रयास करना ।

मलकंगनी

ब्रम्ही

हरड़

- एनएमपीबी द्वारा पहचाने जाने वाले प्राथमिक क्षेत्रों में परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की सहायता करना और क्षेत्र की विशिष्ट मुद्दों की पहचान पर जोर देने के साथ ही इस योजना का व्यापक कवरेज देने के लिए।

मलकंगनी

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभिविन्यास सत्र आदि के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित हितधारकों की क्षमता विकसित करना।

- हितधारकों के समय-समय पर बैठकों ६ कार्यशालाओं ६ परामर्शों का आयोजन करना।

ब्रम्ही

- संबंधित राज्यों में विभिन्न संगठनों को एनएमपीबी द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं की समीक्षा और एनएमपीबी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्यांकन और मूल्यांकन का संचालन करना।

हरड़

- राज्यों में औषधीय पौधों के सभी संबंधित क्षेत्रों के डाटाबेस को इकट्ठा और बनाए रखने के लिए और संबंधित क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के डेटाबेस का एकीकरण करना।

- औषधीय पौधों के क्षेत्र में शोध निष्कर्षोंध नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार सहित औषधीय पौधों से संबंधित क्षेत्र की प्रासंगिकता के शोधन अनुसंधान और अन्य मामलों के संबंध में प्रयास करना।

- आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) के लिए रणनीति विकसित करने और आईईसी गतिविधियों को लागू करना।

- एनएमपीबी द्वारा समर्थित गतिविधियों की सफलता की कहानियों को दस्तावेज और प्रसारित करना। केंद्र की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना।